राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोवर्धन बनाम झूथाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2026	135/2025, 136/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 136/2025 एवं 135/225 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर दोनों अपीलों का इकजाई रूप से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया	अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर सुनी गयी	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/02/2026 को पेश हो		
03/02/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया. जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/09/2022 पारित करते हुए विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 2.2129 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 4.0085 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 1.0748 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 1.9853 हैक्टयर, खसरा नम्बर 503 रकबा 1.1507 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.3667 हैक्टयर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.7334 हैक्टेयर किता 10 कुल रकबा 12.8979 हैक्टयर वाके ग्राम बाघावास प.ह. बाघावास तह. किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर राज. का अलहदा-अलहदा किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुरूप मौके के कब्जे काश्त अनुसार एवं सभी हिस्सेदारो हेतु रास्ता दर्शाते हुये उभयपक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार स्वयं उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2022 पारित कर दिया गया	जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/09/2022 के विरुद्ध अपील संख्या 136/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2022 के विरुद्ध अपील संख्या 135/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस मन जाकर अपीलों का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की ईकजाई मौखिक बहस दोनों अपीलों पर सुनी गयी	चूँकि दोनों अपीले		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोवर्धन बनाम झूथासिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तामील से प्राप्त प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के नोटिसेज का अवलोकन किये जाने से उक्त नोटिसेज के पुष्ठ पर अंकित तामील कुलिन्दा रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की तामील नही होना स्पष्ट हो जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिसेज का अवलोकन किये बगैर ही प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की तामील होना धारित कर उन्हें सुनवाई कर उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बीना ही अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्रीयां पारित कर डी गयी है | कानूनन समस्त पक्षकारान की समुचित तामील करवा कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही निर्णय किया जाना होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर गलत एवं अपूर्ण तामील के आधार पर ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व् डिक्रीये पारित करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/09/2022 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये वाद में अग्रिम कार्यवाही कर उसका विधिसम्मत निस्तारण करे | तदनुसार दोनों अपीले क्रमश : 136/2025 एवं 135/2025 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनक 03/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर